प्रारूप–2

संभागीय, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

(एकीकृत शिक्षा परिसर, प्रथम तल, पेंशन बाड़ा रायपुर)

दूरभाष : 0771–4240278 ई–मेल jdeduraipur@gmail.com

क्र./विभागीय मान्यता/आर 0008/2021 2399 रायपुर, दिनांक : 25 ... 2021

प्रति

प्रबंधक/अध्यक्ष,
हेल्पिंग हेण्ड्स इंस्टोरेशन सोसायटी – ए स्टेप टू रिमोव डार्कनेश
हैल्पिंग हेण्ड्स इंग्लिश मीडियम स्कूल खरोरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

सन्दर्भ :– कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ज्ञाप क्र/विभागीय मान्यता/2021/13956 रायपुर, दिनांक 01.09.2021

विषय:– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख **12.02.2020** के सन्दर्भ में और इस संबंध मे विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर (छ.ग.) की अनुशंसा उपरांत मैं **हैल्पिंग हेण्ड्स इंग्लिश मीडियम स्कूल खरोरा जिला–रायपुर** (विद्यालय का नाम एवं पता सहित) कक्षा नर्सरी एवं कक्षा दसवी तक संचालित विद्यालय को कक्षा नर्सरी से कक्षा बारहवीं (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिए तारीख **2021–22 से 2023–24 तक** तीन वर्षो की अवधि के लिए सशर्त अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति के अध्याधीन होगी :–

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता होगी। जिसकी शर्ते निम्नानुसार होगी–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नही है और उसमे किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–एक) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले मे भी इन मानकों का अनुपालन किया जाएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यार्धान नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चें को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वही अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा।
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि –
   - (एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विद्यालय मे उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में फेल या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा.
   - (दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा ;
   - (तीन) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने अपेक्षा नही की जाएगी
   - (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - (पांच) अधिनियम के उपबधो के अनुसार निःशक्त/विशेष आवशकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ;

क्रमशः

PRINCIPAL
H.H.E.M.H.S School Kharora
Block-Tilda, Dist.-Raipur (C.G.)

SECRETARY
Helping Hands Instauration Society
A Step to Remove Darkness

Scanned with CamScanner

(छह) अध्यापको की भर्ती, अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है वशर्ते कि वर्तमान मे कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियन के प्रारभ होने पर न्यूनतम अर्हता नही रखते है, उन्हे अधिनियम के प्रारभ होने से 5 वर्ष की अवधि मे निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी :

(सात) अध्यापकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा :

(आठ) प्राइवेट शिक्षण की गतिविधियों मे शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी :

(नौ) भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो:

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको एव सनियमो को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय विद्यालय मे उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

स्कूल परिसर का क्षेत्रफल –
कुल निर्मित क्षेत्रफल –
खेल मैदान का क्षेत्रफल –
कक्षाओं के कमरो की संख्या –
प्रधानाध्यापक कक्ष-सह कार्यालय सह-स्टोर कक्ष –
लडकों और लडकियों के लिए पृथक प्रसाधन – **हां है।**
स्वच्छ पेयजल सुविधा – **हां है।**
मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर – **हां है।**
बाधा रहित प्रवेश सुविधा – **हां है।**
पठन-पाठन सामग्री/खेल एवं खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता – **हां है।**

10. विद्यालय परिसर के भीतर व उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

11 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

12 विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

13 विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

14. विद्यालय की लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड नम्बर **2021-आर-0008** एवं डाईस (DISE) कोड नम्बर ------------------ है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

16 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

18 संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्ते

1. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही विद्यालय में अध्यापन एवं पाठ्य पुस्तके मान्य होंगी तथा भवन व अन्य सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
2. कक्षा आठवी तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2(ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवी तक छत्तीसगढ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।
3 कक्षा नवमीं से बारहवीं के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतु छ.ग.मा.शिक्षा मंडल रायपुर/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से सम्बद्धता/मान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) में मान्यता का कमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 25 2021

पृष्ठां. क्र./विभागीय मान्यता/आर0007/2021 2400
प्रतिलिपिः–

1. **सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र 2 कम्युनिटि सेन्टर प्रीत विहार दिल्ली (भारत)– 110092 को सूचनार्थ।**
2. **सचिव, छतीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।**
3. **जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

संभागीय संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग रायपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
H.H.E.M.H.S School Kharora
Block-Tilda, Dist.-Raipur (C.G.)

SECRETARY
Helping Hands Instauration Society
A Step to Remove Darkness

Scanned with CamScanner